उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U P POWER CORPORATION LTD.

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–1788–कार्य/चौदह–पाकालि/2018–38–के/2018, दिनांक २६ जुलाई, 2018

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/
पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं
केस्को, कानपुर।

विषयः– **माननीय ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 सरकार को जन सुनवाई के दौरान प्राप्त भ्रष्टाचार एवं जांच से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय ऊर्जा मंत्री को जन सुनवाई के दौरान प्राप्त भ्रष्टाचार एवं जांच से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों के ससमय निस्तारण हेतु एतद्द्वारा निम्नवत निर्देशित किया जाता है :–

1. जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों एवं जांच तथा प्रार्थना पत्रों को निम्नलिखित चार वर्गों में सूचीबद्ध कर अनुश्रवण किया जाये :–

(अ) **कार्य से सम्बन्धित प्रकरण** :–

(i) सामान्य कार्य से सम्बन्धित प्रकरण की शिकायत जिसमें लाइन की मरम्मत का कार्य/ट्रान्सफार्मर की मरम्मत का कार्य व अन्य अनुरक्षण सम्बन्धी समस्यायें जिनका निराकरण निर्धारित अवधि में करा कर शिकायतों का निस्तारण 10 दिनों के अन्दर किया जाना वितरण निगमों द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

(ii) नये संयोजन सम्बन्धी शिकायत को निर्धारित अवधि में करा कर शिकायतों का निस्तारण 10 दिनों के अन्दर किया जाना वितरण निगमों द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

(iii) बीजक से सम्बन्धी शिकायतों को निर्धारित अवधि में करा कर शिकायत का निस्तारण 10 दिनों के अन्दर किया जाना वितरण निगमों द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

(ब) **कार्मिक से सम्बन्धित प्रकरण** :–

(i) विद्युत विभाग से सम्बन्धित कार्मिकों की **सामान्य शिकायतें** परीक्षण कर गम्भीरता के अनुसार गुण दोष के आधार पर 10 दिनों में निर्णय लेकर प्रकरण को निस्तारित करें।

(ii) भ्रष्टाचार के प्रकरण पर आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक जांच 15 दिनों में करा कर निर्णय करें तथा प्रारम्भिक जांच में प्राप्त निष्कर्ष एवं गम्भीरता के आधार पर **लघुदण्ड** की दशा में नियमानुसार स्पष्टीकरण के माध्यम से कार्यवाही करें।

(iii) भ्रष्टाचार के प्रकरण में प्रारम्भिक जांच में प्राप्त निष्कर्ष एवं प्रकरण की गम्भीरता के आधार पर **बृहददण्ड** की दशा में नियमानुसार अभ्यावेदन के माध्यम से कार्यवाही करें।

(स) **स्थानान्तरण व अधिष्ठान से सम्बन्धित प्रकरण** :–

(i) डिस्काम स्तर के प्रकरणों पर स्थानान्तरण नीति के अनुसार निर्णय लेकर कार्यवाही करें।

(ii) पावर कार्पोरेशन लि0 लखनऊ स्तर के प्रकरणों हेतु कारपोरेशन मुख्यालय के स्तर से स्थानान्तरण नीति के अनुसार समुचित निर्णय लेकर कार्यवाही करें।

(द) **अन्य प्रकरण** :–

अन्य शिकायतें, जो उपरोक्त से सम्बन्धित नहीं है, पर आवश्यकतानुसार 10 दिनों में निर्णय लेकर प्रकरण को निस्तारित करें।

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये तथा प्रकरण के निस्तारण के उपरान्त शक्ति भवन, लखनऊ स्थित माननीय ऊर्जा मंत्री के कैम्प कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2. उक्त कार्य हेतु प्रत्येक निगम में एक पूर्ण रूप से समर्पित सेल का गठन कर लिया जाये। उक्त सेल द्वारा इस कार्य के अतिरिक्त आई0जी0आर0एस0 से सम्बन्धित कार्यों का भी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इन प्रकरणों के रख–रखाव को सूचीबद्ध कर लगातार उन पर प्रभावी अनुश्रवण किया जाये। वितरण निगमों द्वारा प्राप्त प्रकरणों का अनुश्रवण कर प्रतिमाह प्राप्त/निस्तारित प्रकरणों की संख्या से कारपोरेशन को निर्धारित प्रारूप में अवगत कराया जायेगा, केवल वे ही विस्तृत आख्यायें कारपोरेशन को सन्दर्भित की जायें जिसके लिये कारपोरेशन स्तर से निदेशित किया गया हों।

4. जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों एवं प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रत्येक माह की सूचना संलग्न ''प्रारूप–अ'', ''प्रारूप–ब'', ''प्रारूप–स'' एवं ''प्रारूप–द'' में अनुश्रवण आख्या सहित प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मुख्य अभियन्ता, सी0एम0यू0(डी), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ, जिनके द्वारा निस्तारण आख्या को माननीय ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 सरकार की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया जाना है, को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

संख्या–1788–कार्य/चौदह–पाकालि/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/वितरण/कारपोरेट प्लानिंग/वाणिज्य, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
4. निदेशक (तकनीकी), केस्को–कानपुर।
5. अपर सचिव–I/II/III, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुंख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (सी0एम0यू0डी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त संयुक्त सचिव उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव (कार्य)